न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 21.06.2022

अपील संख्या 2022/80

उनवान

1– थानसिंह उम्र 34 वर्ष पुत्र कालू सिंह, जाति राजपूत
2– गजराज सिंह उम्र 28 वर्ष पुत्र कालू सिंह, जाति राजपूत्
निवासीगण ग्राम पिपलाई, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– ओमप्रकाश तिवारी पुत्र गौरीशंकर जी, उम्र 52 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़
2– राहुल पुत्र ओम प्रकाश, उम्र 31 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़
3– धापू बाई उम्र 58 वर्ष पुत्री औकार सिंह, पत्नि समन्दर सिंह, जाति राजपूत निवासी कोलवी हाल मुकाम चौकड़ी, तहसील डग, जिला झालावाड़
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड़
5– उपपंजीयक, गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री दयाराम सेन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक : 29.09.2023

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – प्रार्थना पत्र/2022/56 निर्णय दिनांक 25.03.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजंस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2, धारा 151 सी पी सी पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम कोलवी, पटवार हल्का कोलवी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोलवी उर्फ मण्डी, राजेन्द्रपुर, तहसील गंगधार की अंतिम चौसाला संवत 2074 से 2077 जमाबंदी 2077 वर्ष 2020 से स्थाई खाता संख्या 32 के खसरा नम्बर 110 रकबा 0.3920 हेक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.1897 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.5817 हेक्टर आराजी में से वादी नं. 1 का हिस्सा 4/7 वादी नं. 2 का हिस्सा 1/7, प्रतिवादी नम्बर 1 और 2 का हिस्सा 1/7, 1/7 के खातेदार कृषक है तथा इसी ग्राम के खाता संख्या 33 खसरा नम्बर 117 रकबा 0.3035 हेक्टर की आराजी में से वादी नं. 1 का हिस्सा 5/7, वादी नं. 2 का हिस्सा 1/7, प्रतिवादी नं. 1 का हिस्सा 1/7 के खातेदार कृषक हैं। इसी ग्राम के खाता संख्या 133 खसरा नम्बर 118 रकबा 1.8211 हेक्टर की आराजी में से वादी नं. 1 का हिस्सा 4/7, वादी नं. 2 का हिस्सा 1/7, प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा 1/7 के खातेदार कृषक हैं। इस आराजी को वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के निर्णय दिनांक 25.03.2022 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम कोलवी के खाता संख्या 32 किता 2 रकबा 0.5817 हेक्टर, खाता संख्या 33 किता 1 रकबा 0.3035 हेक्टर, खाता संख्या 133 किता 1 रकबा 1.8211 हेक्टर स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर इस आशय की आगामी तारीख पेशी तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली दिनांक 25.04.2022 को पेश हो, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3. अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतई गलत रूप से रेकार्ड व साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही रेस्पोडेंट नं. 1 धापू बाई के पक्ष में एवं अपीलांट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने में त्रुटि की है। विवादित आराजी अपीलांट की खरीदशुदा आराजी है, जिस पर अपीलांट का वक्त खरीद से ही बहैसियत मालिकाना कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है। धापूबाई रेस्पोडेंट ने अपीलांट को अपना हिस्सा आराजी 1/7 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 21.03.2022 को बेचान कर कब्जा दे चुकी है तथा अन्य सहखातेदारान ने भी पूर्व में ही विवादित आराजी को अपीलांट को बेचान कर कब्जा संभलाया है। इस प्रकार अपीलांट उक्त आराजी पर बहैसियत मालिक टीनेन्ट काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय में समक्ष रेस्पोडेंट धापू क्लीन हैण्ड नहीं आई है और उसने अपने द्वारा अपना हिस्सा आराजी को बेचान करने की बात छिपाई है तथा अधीनस्थ न्यायालय को अंधेरे में रखकर आदेश जेर अपील प्रदान करवाया गया है। अतः आदेश जेर अपील हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है। अपीलांट उक्त आराजी के बोनाफाइड परचेजर है तथा भूमि पर काबिज काश्त है तथा भूमि को हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का अपीलांट को अधिकार प्राप्त है जिसमें दखलन्दाजी करने का रेस्पोडेंट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जेर अपील निरस्त किया जावे।

4. अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.06.2022 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

5. अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2020(2) पेज 938 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

7. हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक

प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

9. हमने बहस अभिभाषक अपीलांट एकपक्षीय सुनी, प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही वादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र अंतरिम आदेश दिनांक 25.03.2022 को पारित करते हुए न्यायालय की आगामी तारीख पेशी तक उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया। इस अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आदेश दिनांक 25.03.2022 की पालना स्थगित की जाती है तथा न्यायालय व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3–क के विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र बाबत उभयपक्षों को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आवश्यक रूप से एक माह में वादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत धारा 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण करते हुए विधिवत आदेश पारित करें। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के न्यायालय में दिनांक 21.11.2023 को उपस्थित होवे।

10. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/09/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा